06 छत्तीसगढ़ राज्य मानव अ धकार आयोग,रायपुर

1 प्राक्कथन:

1.1 धारा 28 (1) मानव अ धकार संरक्षण अ धनियम 1993 के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ राज्य मानव अ धकार आयोग का प्रशासकीय प्रतिवेदन 01 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर 2017 की अव ध का प्रस्तुत है।

1.2 छत्तीसगढ़ राज्य मानव अ धकार आयोग में , श्री एम.के. संघल कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर पदस्थ हैं। श्री दिलीप भ , संयुक्त स चव (सं वदा), श्री जनार्दन खरे (न्यायिक सेवा) व ध अ धकारी (प्रतिनियुक्ति पर) एवं श्री बी.आर. देशमुख, लेखा धकारी (प्रतिनियुक्ति पर) के पद पर कार्यरत् हैं।

2. वर्ष 2017 में आयोग के महत्वपूर्ण कार्य एवं अनुशंसाएं :-

2.1 प्रकरण क्रमांक -757/2017/ ORY/ORC

राजेश्वरी नागवंशी ने शकायत की है क उसके पति दिलेर संह छ.ग.राज्य वद्युत वतरण कंपनी में लाईन परिचारक श्रेणी के पद पर कार्यरत थे । दिनांक 11.06.16 को उसके पति की मृत्यु होने के पश्चात् उसे पेंशन ग्रेज्युटी तथा अनुंकपा नियुक्ति प्राप्त नही हुई है।

शकायत की प्रति अतिरिक्त मुख्य अ भयंता छ.ग.राज्य वद्युत वतरण कंपनी मर्यादित दुर्ग को प्रे षत की गयी । अतिरिक्त मुख्य अ भयंता ने जाॅच के पश्चात् प्रतिवेदन प्रे षत कया ।

प्रतिवेदन की प्रति शकायतकर्ता को प्रे षत की गयी ।

शकायतकर्ता ने प्रतिवेदन पर टीप देते हुये पेंशन एवं ग्रेज्युटी का आदेश प्राप्त होने के पश्चात् देयलाभ प्राप्त हो जाने का कथन कया है तथा शकायत पर अब कोई कार्यवाही न करने का उल्लेख कया है।

अतः इस आयोग की कार्यवाही के पश्चात् शकायतकर्ता के भ वष्य नि ध , जी.एस.आई. पारिवारिक पेंशन एवं एरियर्स की रा श प्राप्त हो जाने के कारण शकायतकर्ता के पत्र को स्वीकार करते हुये शकायत निराकृत की गयी है।

2.2 प्रकरण क्रमांक -147/2016/BSP/MC

समेलाल कलम संह निवासी खैर झटी थाना कोटा ने शकायत की है क वेद संह भैना वल्द समेलाल भैना को तिहारु व उसके सहयोगी दुर्जन , जनकराम एवं इतवार संह ने जान से मारकर लाश को गायब कर दिया है। पु लस में रिपोर्ट लखाये जाने के पश्चात् कार्यवाही नही होने की शकायत की है।

शकायत की प्रति पु लस अधीक्षक , बिलासपुर को प्रे षत की गयी । पु लस अधीक्षक बिलासपुर ने जॉच के पश्चात् जॉच प्रतिवेदन प्रे षत कया है। प्रतिवेदन की प्रति शकायतकर्ता को प्रे षत की गयी है। शकायतकर्ता ने प्रतिवेदन पर कोई टीप नही दी है।

पु लस अधीक्षक बिलासपुर के प्रतिवेदन के अनुसार धारा 302, 201 भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर ववेचना की जा रही है। थाना प्रभारी ने जानकारी प्रे षत करते हुये आरोपी ओंकरी भैना , उर्फ ओमप्रकाश, सुख भैना, नीमा भैना, को दिनांक 20.08.17 को गरफ्तार कर प्रकरण न्यायालय में पेश कये जाने का उल्लेख कया है।

अतः इस आयोग की कार्यवाही के पश्चात् आरो पयों के वरुद्ध चालान न्यायालय में पेश कये जाने के कारण शकायत पर कार्यवाही हो जाने के फलस्वरुप पु लस अधीक्षक के प्रतिवेदन प्रतिवेदन तथा थाना प्रभारी के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुये शकायत निराकृत की गयी है।

2.3 प्रकरण क्रमांक -1745/2015/MHS/PC

प्रेमलता सोना ने शकायत की है क उसके पति स्व. निर्मल सोना नगर पा लका निगम महासमुंद में कार्यरत थे । दिनांक 14.12.09 को उनकी मृत्यु हो गयी। मृत्यु के पश्चात् वभाग को कई आवेदन देने के पश्चात् उसे पेंशन तथा अन्य स्वत्वों का भुगतान नही कया गया ।

शकायत की प्रति मुख्य नगर पा लक अ धकारी, महासमुंद को प्रे षत की गयी। संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन को भी पत्र प्रे षत कया गया ।

उपसंचालक पेंशन, संचालनालय नगरीय प्रशासन छ.ग. ने जाॅच के पश्चात् प्रतिवेदन प्रे षत कया । प्रतिवेदन के अनुसार पेंशन की रा श भी स्वीकृत की गयी है।

प्रतिवेदन की प्रति शकायतकर्ता को प्रे षत की गयी है। शकायतकर्ता ने उपादान की रा श प्राप्त हो जाने का कथन करते हुये आयोग को धन्यवाद दिया है।

अतः इस आयोग की कार्यवाही के पश्चात् शकायतकर्ता की शकायत पर कार्यवाही हो जाने के फलस्वरुप उप संचालक पेंशन के प्रतिवेदन तथा पे्रमलता सोना के पत्र को स्वीकार करते हुये शकायत निराकृत की गयी है।

2.4 प्रकरण क्रमांक -1332/2016/JNJ/MC

शकायतकर्ता श्रीमती उमा यादव निवासी जांजगीर-चांपा ने शकायत की है क दिनांक 29.04.14 को इसके पति गोपाल प्रसाद यादव की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गयी । छ.ग.शासन सा.प्र. व. मंत्रालय ,रायपुर द्वारा सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को मलने वाली रा श रु. 25000/- सहायता रा श नही दी गयी है ।

शकायत की प्रति कलेक्टर जांजगीर-चांपा को प्रेषत की गयी । अपर कलेक्टर ने प्रतिवेदन प्रे षत कया। प्रतिवेदन की प्रति शकायतकर्ता को प्रे षत की गयी । आवेदक ने कोई टीप नही दी है।

अपर कलेक्टर ने प्रतिवेदित कया है क मृतक की पत्नी शकायतकर्ता को शासन से मलने वाली आ र्थक सहायता रा श रु. 25000/- स्वीकृत कर चेक क्रमांक 405949 के द्वारा दिनांक 04.03.17 को भुगतान कया गया है।

अतः इस आयोग की कार्यवाही के पश्चात् शकायतकर्ता को सहायता रा श का भुगतान तथा शकायत पर कार्यवाही हो जाने के फलस्वरुप अपर कलेक्टर के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुये शकायत निराकृत की गयी है ।

2.5 प्रकरण क्रमांक **-1289/2016/BLD/OC**

आवेदक मन्नूलाल साहू निवासी पलारी ने शकायत की है क उसके पुत्र देवेन्द्र कुमार साहू ने बीरज बाई यादव से अंतर्जातीय ववाह कर लया है, जिसके कारण आवेदक के परिवार को समाजिक रुप से बहिष्कृत कर प्रता ड़त कया जा रहा है। शकायत की प्रति कलेक्टर बालोद को प्रे षत की गयी। कलेक्टर बालोद ने जॉच के पश्चात् प्रतिवेदन प्रे षत कया है। प्रतिवेदन की प्रति शकायतकर्ता को प्रे षत की है। शकायतकर्ता ने प्रतिवेदन पर कोई टीप नही दी है।

कलेक्टर बालोद ने प्रतिवेदित कया है क समाजिक निर्णय के अनुसार आवेदक के बहु-बेटा समाज से अलग रहेगे और आवेदक को साहू समाज की मुख्य धारा में शा मल कया गया और यह भी लेख कया है क शकायतकर्ता की पौनी पसारी बंद नही की गई है।

अतः कलेक्टर बालोद के अखं डत प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुये शकायत निरस्त की गयी है।

2.6 प्रकरण क्रमांक **-452/2017/RYP/DRC**

शकायतकर्ता एन.के.श्रीवास्तव सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड 2 ने अप्रैल 2006 से नवम्बर 2009 तक समयमान, वेतनमान की अंतर की रा श वभाग द्वारा भुगतान न कये जाने का निवेदन कया है। इस आयेाग की कार्यवाही के पश्चात् शकायतकर्ता को पंजीयक सहकारी संस्थायें रायपुर द्वारा जून 2017 में अंतर की रा श प्राप्त हो जाने का कथन करते हुये इस आयोग को पत्र प्रे षत कया गया है।

शकायतकर्ता ने 5 वर्षो तक भुगतान न कये जाने के कारण ब्याज की रा श की मांग की है।

शकायतकर्ता को समयमान वेतनमान की अंतर रा श का भुगतान कया जा चुका है। अतः भुगतान हो जाने के फलस्वरुप शकायतकर्ता के पत्र को स्वीकार करते हुये शकायत निराकृत की गयी है।

2.7 प्रकरण क्रमांक **-401/2017/RYP/DRC**

श्री एन.सी.जांगडे, से. नि. कार्यालय अधीक्षक , भू अ भलेख शाखा ने दिनांक 31.10.16 को सेवानिवृत्त होने के पश्चात् 182 दिन के अवकाश नगदीकरण की रा श वभाग से प्राप्त न होने की शकायत की है। इस आयोग द्वारा वभाग को पत्र प्रे षत कया गया ।

शकायतकर्ता ने दिनांक 04.05.17 को अवकाश नगदीकरण की रा श प्राप्त हो जाना बताते हुये अपने आवेदन पत्र पर कोई कार्यवाही न करने का निवेदन कया है। अतः शकायतकर्ता को भुगतान हो जाने के फलस्वरुप शकायतकर्ता के पत्र को स्वीकार करते हुये शकायत निराकृत की गयी है।

2.8 प्रकरण क्रमांक -924ध्2016ध्ठस्क्ध्डब्

जिला नाई सेन समाज बालोद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि ने शकायत की है क ग्राम कसना थाना देवरी बंगला में गंभीर राम सेन जो क हजामत का कार्य करता है , ने कम दर पर हजामत का कार्य नही कया तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया गया । इस तरह जर्नादन सेन टुमन लाल सेन तथा बंसी लाल सेन को भी समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। इनकी पौनी पसारी बंद कर दी गयी। शकायत की प्रति कलेक्टर , बालोद को प्रे षत की गयी । कलेक्टर बालोद ने जाॅच के पश्चात् प्रतिवेदन प्रे षत कया । प्रतिवेदन की प्रति शकायतकर्ता को प्रे षत की गयी। शकायतकर्ता ने टीप प्रे षत की है क प्रशासनिक अ धकारियों एवं पु लस के माध्यम से सुलहनामा कराया गया है तथा चारों गांव में बहिष्कार हटा लया गया है। आवेदक से दूरभाष में जानकारी ली गयी। उसने नाई समाज तथा ग्रामवा सयों के मध्य समझौता होना बताते हुये शकायत निरस्त करने का निवेदन कया । अतः आयोग में शकायत के पश्चात् शकायत पर कार्यवाही होने के फलस्वरुप शकायतकर्तागण के टीप को स्वीकार करते हुये शकायत निराकृत की गयी है ।

2.9 प्रकरण क्रमांक -249/2017/BTR/DRC

आवेदक पीटर बेक ने रीजनल पी.एफ.क मश्नर के आदेश के पश्चात् भी पेंशन एरियर्स की रा श रु. 106170/- प्राप्त न होन की शकायत की है । शकायत की प्रति सहायक भ वष्य नि ध आयुक्त को प्रे षत की गई । सहायक भ वष्य नि ध आयुक्त का प्रतिवेदन प्रे षत कया । प्रतिवेदन की प्रति शकायतकर्ता को प्रे षत की गयी । शकायतकर्ता ने आयोग को जानकारी प्रे षत की क उसके बैंक खाते में रु. 106170/- जमा होना बताया है।आयोग की कार्यवाही के पश्चात् शकायकर्ता कों पेंशन की एरियर्स की रा श रु. 106170/- प्राप्त हो जाने के फलस्वरुप शकायतकर्ता की टीप को स्वीकार करते हुये शकायत निराकृत की गयी है।

2.10 प्रकरण क्रमांक -557/2016/BMT/MC

शकायतकर्ता चुनुराम पटेल का आयोग के समक्ष गांव से बहिष्कृत कये जाने के संबंध में शकायत की है। कलेक्टर बेमेतरा से प्रतिवेदन आहूत कया गया है। कलेक्टर ने प्रतिवेदन प्रे षत कया जिसकी प्रति ल प शकायतकर्ता को प्रे षत की गयी है।

शकायतकर्ता का आयोग के समक्ष कथन लया गया । वर्तमान में उसकी पौनी-पसारी चालू है। उसे कोई दिक्कत नही है दुकान से वह समान लेता है और नाई धोबी का कार्य भी चालू है।

इस आयोग में शकायत के पश्चात् शकायतकर्ता को सामाजिक रुप से सम्मि लत करने के कारण शकायत नस्तीबद्ध की गई है ।

2.11 प्रकरण क्रमांक **-BMT/40/2013DRC**

आवेदक मंगलाराम ने आयोग को शकायत की है क वह म.प्र. वद्युत बोर्ड दुर्ग में मस्टर रोल कर्मचारी थ। दि. 31.07.87 को उसने काम छोड़ दिया। शकायतकर्ता ने ईपीएफ की रा श दिलाये जाने का निवेदन कया । शकायत की प्रति क्षेत्रीय भ वष्य नि ध आयुक्त, पंडरी रायपुर को प्रे षत की गयी। क्षेत्रीय भ वष्य नि ध आयुक्त ने प्रतिवेदन देते हुये शकायतकर्ता द्वारा द र्शत भ वष्य नि ध खाता कसी अन्य व्यक्ति का होना बताया। इस आयोग द्वारा लगातार कार्यवाही करने के पश्चात् अति. अधीक्षण अ भयंता बिलासपुर ने शकायतकर्ता द्वारा फार्म गलत भरने की जानकारी आयोग को दी।

क्षेत्रीय भ वष्य नि ध के द्वारा प्रतिवेदन प्रे षत कया क आवेदक को रु. 10802/- पेंशन तथा 150/- पेंशन का चेक जारी कया गया है।

इस आयोग की कार्यवाही के पश्चात् शकायतकर्ता को कर्मचारी भ वष्य नि ध द्वारा भुगतान हो जाने के फलस्वरुप शकायत निराकृत की गयी है।

2.12 प्रकरण क्रमांक **-831/2016/TYP/PC**

आवेदक अब्दुल कुददस सेवानिवृत्त परिचारक छ.ग.राज्य वद्युत मंडल ने शकायत की है क दिनांक 31.03.16 को सेवानिवृत्त होने के पश्चात् वभाग द्वारा पेंशन, उपादान एवं भ वष्य नि ध का भुगतान नही कया गया है।

शकायत की प्रति कार्यपालन यंत्री छ.ग. वद्युत वतरण कंपनी को प्रे षत की गयी। कार्यपालन यंत्री छ.ग. वद्युत वतरण कंपनी ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कया।

आयोग की कार्यवाही के पश्चात् शकायतकर्ता को रु. 206368/- पेंशन तथा 940330/- उपादान एवं पेंशन सारांशीकरण का भुगतान कया गया। साथ ही भ वष्य नि ध की रा श रु. 402021/- का भुगतान दिनांक 03.08.16 को कया जा चुका है।

शकायतकर्ता ने टीप प्रस्तुत करते हुये सभी स्वत्वों का भुगतान हो जाने का कथन कया है।

अतः आयोग की कार्यवाही के पश्चात् शकायतकर्ता को भ वष्य नि ध पेंशन , तथा उपादान की रा श का भुगतान हो जाने के फलस्वरुप शकायत निराकृत की गयी है।

2.13 प्रकरण क्रमांक -945/2016/MHS/DRC

शकायतकर्ता श्रीवत्सकर दिनांक 31.8.03 को सहायक शक्षण पद से सेवानिवृत्त हुआ था। यद्य प उसे क्रमोन्नत वेतन एवं पुनरी क्षत पेंशन वभाग द्वारा स्वीकृत कया गया था कंतु उपादान एवं आवश्यक नगदीकरण के एरियर्स का भुगतान शकायत दिनांक 22.07.16 तक नही कया गया था।

आयोग द्वारा शकायत पर की गयी कार्यवाही के पश्चात् शकायतकर्ता को दिनांक 10.3.17 को उपादान एवं अवकाश नगदीकरण के एरियर्स की रा श का संपूर्ण भुगतान कया गया है। उक्त तथ्य का उल्लेख शकायतकर्ता द्वारा अपने पत्र दिनांक 15.03.17 में कया है।

शकायतकर्ता द्वारा शकायत में चाहा गया अनुतोष प्राप्त हो जाने से शकायत निराकृत की जाती है।

2.14 प्रकरण क्रमांक -829/2016/DRG/MC

आवेदक सुरेश कुमार साहू थाना अमलेश्वर दुर्ग ने शकायत की है क दिनांक 25.03.16 को गांव में बैठक आयोजित की गई। जिसमें उसके भाई रमेश कुमार साहू तथा चुम्मन लाल साहू को कहा गया क तुम लोग ईसाई धर्म अपना लये हो ऐसा कहकर दिनांक 26.03.16 को गांव से सामाजिक रुप से बहिष्कृत कये जाने की मुनादी करा दी गयी है। आवेदक के भाई गरीब परिस्थिति के है, बिना कारण के इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

शकायत की प्रति कलेक्टर दुर्ग को प्रे षत की गयी। कलेक्टर दुर्ग ने पु लस अधीक्षक से प्रतिवेदन आहूत कर जांच प्रतिवेदन प्रे षत कया।

शकायतकर्ता ने टीप आयोग को प्रे षत की। शकायतकर्ता की टीप को देखते हुये शकायतकर्ता को आयोग के समक्ष साक्ष्य हेतु आहूत कया गया । शकायतकर्ता ने आयोग के समक्ष कथन कया है क इस आयोग द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरुप दबाव पड़ने के कारण गांव में वातावरण सामान्य हो गया है। अब वह अपनी

शकायत पर कोई कार्यवाही नही करना चाहता है। शकायतकर्ता के कथन को देखते हुये शकायत नस्तीबद्ध कया गया है।

2.15 प्रकरण क्रमांक **-1478/2016/BDR/PC**

आवेदक राम खलावन कैवत्र्य के द्वारा परिवार कल्याण नि ध एवं समूह बीमा योजना की रा श का भुगतान करने बाबत् शकायत की है आवेदक द्वारा दि. 24.03.17 द्वारा यह सू चत कया गया है क शकायतकर्ता को परिवार कल्याण नि ध एवं समूह बीमा योजना की रा श का भुगतान कर दिया गया है। शकायतकर्ता ने यह भी निवेदन कया है क उसका प्रकरण नस्तीबद्ध कया जाये।

प्रकरण में आयोग द्वारा प्रांरभ की गयी कार्यवाही के परिणामस्वरुप शकायतकर्ता को उसके परिवार कल्याण नि ध एवं समूह बीमा योजना की रा श का भुगतान उसके वभाग द्वारा कया जा चुका है। अतः शकायतकर्ता द्वारा चाहा गया अनुतोष प्राप्त हो जाने के कारण शकायत निराकृत की गयी है।

2.16 प्रकरण क्रमांक **-586/2016/DMT/MC**

आवेदक जागेश्वर साहू ने गाव के परिष्ठित लोगों द्वारा उसे समाज से बहिष्कृत कये जाने की शकायत की है तथा साहू समाज द्वारा अर्थदंड लगाये जाने का भी कथन कया है।

शकायत की प्रति कलेक्टर धमतरी को प्रे षत की गई। अनु वभागीय दंडा धकारी कुरुद ने जांच के पश्चात् प्रतिवेदन प्रे षत कया है।

अनु वभागीय दंडा धकारी ने प्रतिवेदित कया है क शकायतकर्ता तथा उसके परिवार को दिनांक 31.07.16 को समाज की मुख्य धारा में सं व लयन कराया गया। जागेश्वर साहू ने सहमति पत्र दिया है।

जागेश्वर साहू की शकायत पर कलेक्टर द्वारा आवेदक एवं उसके परिवार का समाज में सं व लयन कराया गया है। शकायत पर कार्यवाही होने के फलस्वरुप अनु वभागीय दंडा धकारी कुरुद के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुये शकायत निराकृत की गयी है।

2.17 प्रकरण क्रमांक **-680/2016/DRG/MC**

आवेदिका कु. उषा देवांगन ने बैगापारा शीतला मंदि के पास निवास करना बताते हुये "भागीरथी नल जल योजना" के अंतर्गत नल कनेक्शन लगाये जाने का निवेदन कया है उसने यह भी कथन कया है क दिनांक 24.11.15 को नल कनेक्शन के लये आवेदन दिया था , ले कन नगर पा लका द्वारा कनेक्शन नही दिया गया ।

शकायत की प्रति कलेक्टर दुर्ग को प्रे षत की गयी। इस आयोग की कार्यवाही के पश्चात् आयुक्त नगर पा लका दुर्ग का प्रतिवेदन प्रे षत कया है। जिसकी प्रति शकायतकर्ता को प्रे षत की गयी।

आयुक्त नगर पा लक निगम दुर्ग ने प्रतिवेदित कया है क पूर्व में आवेदिका के पता द्वारिकानाथ देवांगन के नाम से जलकर की रा श बकाया होने के कारण भागीरथी नल कनेक्शन नही दिया गया था। आयोग की कार्यवाही के पश्चात् आयुक्त द्वारा शकायतकर्ता को पानी की कमी तथा गरीबी रेखा कार्ड होने के कारण दिनांक 3.1016 को नल कनेक्शन प्रदान कर जल प्रदाय कया गया है।

आयोग के कार्यवाही के पश्चात् शकायत पर कार्यवाही हो जाने के फलस्वरुप आयुक्त नगर पा लक निगम के अखं डत प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुये शकायत निराकृत की गयी है।

2.18 प्रकरण क्रमांक -1424/2016/BSP/KGC

आवेदक एम.के.जैन सेवानिवृत्त सहा.अ भ.बिला ने सेवानिवृत्त के पश्चात् कर्मचारी भ वष्य नि ध की रा श का पूर्ण भुगतान न करने के संबंध में शकायत की है।

शकायत की प्रति अधीक्षण अ भयंता जल संसाधन वभाग को प्रे षत की गयी है। इस आयोग को कार्यवाही के पश्चात् शकायतकर्ता को संपूर्ण रा श का भुगतान कर दिये जाने का प्रतिवेदन अधीक्षण अ भयंता द्वारा दिया गया ।

शकायतकर्ता द्वारा इस आयोग को पत्र प्रे षत करते हुये जी.पी.एफ की रा श एवं पेंशन प्रकरण का निराकरण हो जाने की जानकारी देते हुये इस आयोग का अभार व्यक्त कया है।

अतः शकायतकर्ता को संपूर्ण रा श का भुगतान हो जाने के फलस्वरुप अधीक्षण अ भयंता के प्रतिवेदन एवं शकायतकर्ता की टीप को स्वीकार करते हुये शकायत पर कार्यवाही हो जाने के फलस्वरुप प्रकरण निराकृत कया गया है।

2.19 प्रकरण क्रमांक -1272/2016/MHS/DRC

आवेदक गणपतिलाल श्रीवास्तव सेवानिवृत्त शक्षक ने दिनांक 30.4.03 को सेवानिवृत्त होने का उल्लेख करते हुये 01.05.03 से 31.03.06 तक पुनरी क्षत पेंशन तथा उपादान एवं अवकाश नगदीकरण के अंतर की रा श वभाग द्वारा प्रदान न करने की शकायत की है।

शकायत की प्रति संयुक्त संचालक , कोष लेखा एवं पेंशन रायपुर को प्रे षत की गयी। संभागीय संयुक्त संचा. कोष लेखा एवं पेंशन रायपुर ने प्रतिवेदन प्रे षत कया।

शकायतकर्ता को प्रतिवेदन प्रे षत कया गया है। शकायतकर्ता ने टीप प्रे षत करते हुये प्रकरण से संबं धत रा श स्टेट बैंक ऑफ इ डया शाखा बागबाहरा द्वारा इसके अकाउन्ट में जमा हो जाने का उल्लेख कया है।

आयोग द्वारा संज्ञान लेकर प्रकरण में कार्यवाही करने के पश्चात् शकायतकर्ता को समस्त स्वत्वों का भुगतान हो जाने के फलस्वरुप शकायतकर्ता तथा कोष लेखा एवं पेंशन रायपुर को स्वीकार करते हुये शकायत निराकृत की गयी है।

2.20 प्रकरण क्रमांक -800/2016/DMT/MC

आवेदक भूषणलाल चन्द्राकर निवासी ग्राम भैंसमुंडी ने शकायत की है क दिनांक 17.6.16 को अनावेदकगण ने आवेदक पर 3000/- का जुर्माना लगाया इसके द्वारा जुर्माना अदा न करने पर इसे ग्रामीण सामान्य समाज से बहिष्कृत कर दिया। शकायतकर्ता ने उसका मानव अ धकार उल्लंघन होना बताते हुये कार्यवाही की मांग की है।

शकायत की प्रति कलेक्टर धमतरी को प्रे षत की गयी है। अनु वभागीय अ ध. (राजस्व) कुरुद ने जॉच के पश्चात् प्रतिवेदन प्रे षत कया है। जिसकी प्रति आवेदक को प्रे षत की गयी।

अनु वभागीय अ ध. कुरुद ने प्रतिवेदित कया है क दोनों पक्षो के वरुद्ध धारा 107, 116 (3) जा.फौ. के तहत ईश्तगासा प्रस्तुत कया गया। आवेदक तथा अनावेदकगणों ने उक्त प्रकरण में आपस में समझौता पत्र प्रस्तुत कया। वर्तमान में शकायतकर्ता भूषणलाल चंद्राकर को समाज से बहिष्कृत नही कया गया है। आवेदक ने बताया क अनु वभागीय अ धकारी (रा) ने समझौता करा दिया है। शकायतकर्ता अपनी शकायत पर कोई कार्यवाही नही करना चाहता। उसने प्रकरण नस्तीबद्ध करने का निवेदन कया है।

अनु वभागीय अ धकारी (रा) कुरुद के प्रतिवेदन से स्पष्ट है क दोनों पक्षों के मध्य समझौता कराये जाने के कारण वर्तमान में समाजिक बहिष्कार की स्थिति नही है । शकायतकर्ता ने भी दूरभाष पर समझौता हो जाना बताते हुये प्रकरण निरस्त करने का निवेदन कया है। शकायत पर कार्यवाही हो जाने के फलस्वरुप प्रकरण निराकृत कया गया है।

2.21 प्रकरण क्रमांक -27/2016/RYP/PC

पं.र वशंकर शुक्ल वश्व वद्यालय पेंशनर स मति के स चव ने आयोग को शकायत की है दिनांक 01.01.96 के पूर्व सेवानिवृत्त तथा दिवंगत वश्व वद्यालय कर्मचारी प्राध्यापकों के दिनांक 01.04.07 से पुनरी क्षत

पेंशन/परिवार पेंशन का भुगतान नही कया गया है। शकायतकर्ता ने 17 रिटायर प्रोफेसर कर्मचारियों की लस्ट प्रस्तुत की है।

इस आयोग की कार्यवाही के पश्चात् सभी 17 से.नि कर्मचारियों को दि. 09.12.16 को संशो धत पेंशन एवं परिवार पेंशन की रा श का पुनरीक्षण कर आदेश की प्रति आयोग को प्रे षत की गयी है।

शकायतकर्ता ने स्वयं आयोग में लोकर प्रस्तुत कया है तथा पेंशनरों के संबंध में आयोग द्वारा की गई कार्यवाही पर आयोग का अभार व्यक्त कया है। शकायतकर्ता ने प्रकरण बंद करने का निवेदन कया है।

अतः इस आयोग की कार्यवाही के पश्चात् पं.र वशंकर शुक्ल वश्व वद्यालय के 17 सेवानिवृत्त अ धकारी कर्मचारियों को शासन द्वारा पुनरी क्षत पेंशन का आदेश दिये जाने के कारण उपसंचालक उच्च शक्षा संचालनालय के प्रतिवेदन तथा शकायतकर्ता के पत्र को स्वीकार करते हुये शकायत पर कार्यवाही हो जाने के फलस्वरुप शकायत निराकृत की गयी है।

2.22 प्रकरण क्रमांक **-BSP/10/15/NHRC**

आवेदक राजहंस बंसल ने राष्ट्रीय मानव अ धकार आयोग को शकायत प्रे षत की। राष्ट्रीय मानव अ धकार आयोग ने धारा 13 (6) मानव अ धकार संरक्षण अ धनियम के तहत शकायत इस आयोग को अंतरित की। आवेदक द्वारा शकायत की गयी है क बिलासपुर जिले में जहरीली दवा सप्रो सन खाने से कमलाबाई कौ शक निवासी पोड़ी तखतपुर की दिनांक 15.11.14 को मृत्यु हो गयी। शकायतकर्ता ने प्रकरण की जॉच करने , लापरवाही बरतने वाले क र्मयों के वरुद्ध कार्यवाही करने तथा मृतक महिला के परिजनों को समु चत मुआवजा दिलाये जाने का निवेदन कया है।

शकायत की प्रति प्रमुख स चव , छ.ग.शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वभाग को प्रे षत की गयी। उप संचालक ने जॉच के पश्चात् प्रतिवेदन प्रे षत कया। आयोग द्वारा अनु वभागीय अ धकारी राजस्व बिलासपुर से भी जानकारी आहूत की गयी। अनु वभागीय अ धकारी राजस्व का प्रतिवेदन प्रे षत कया । मृतक के पति लालाराम कौ शक तथा शकायतकर्ता राजहंस बंसल को प्रतिवेदन की प्रति प्रे षत की गयी।

उपसंचालक ने प्रतिवेदित कया है क राज्य शासन द्वारा एकल ''जू ड शयल जॉच आयोग'' से जॉच करायी गई। डॉ. गुप्ता को निलंबित कर बर्खास्त कर दिया गया। डॉ. प्रमोद तिवारी, डॉ. के.सी.उरांव को निलंबित कया गया। संयुक्त संचालक, अमर सह ठाकुर का स्थानांतरण कया गया। महावीर फार्मा की अनुज्ञप्ति निरस्त की गई । मृतक कमलाबाई के परिजनों को मुआवजा रा श चार लाख रुपये के भुगतान के लये कार्यवाही की गयी।

अनु वभागीय अ धकारी राजस्व ने अपने प्रतिवेदन में कमलाबाई कौ शक के परिजन लालाराम को दि. 28.9.15 को 4 लाख रुपये का भुगतान चैक से कये जाने का उल्लेख कया गया ।

शासन द्वारा व धवत संबं धत कर्मचारियों के वरुद्ध कार्यवाही करते हुये महावीर फार्मा की अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया गया है तथा मृतक के परिजन को चार लाख रुपये का भुगतान भी कया जा चुका है।

अतः आयोग की कार्यवाही के पश्चात् भुगतान होने के फलस्वरुप उपसंचालक स्वास्थ्य सेवायें के प्रतिवेदन तथा अनु वभागीय अ धकारी राजस्व बिलासपुर के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुये शकायत निराकृत की गयी है ।

2.23 प्रकरण क्रमांक -**1206/2015/KNK/PC**

आवेदक जोहन संह उइके सेवानिवृत्त वनक्षेपत्रपाल भानुप्रतापपुर ने शकायत की है क लोकायुक्त प्रकरण के चलते उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में बरी कये के पश्चात् दिनांक 10.04.15 से उसे सेवा में बहाल कया गया। सेवानिवृत्त पश्चात् उसे उपादान , अवकाश नगदीकरण आदि की रा श का भुगतान वभाग द्वारा न कये जाने की शकायत की है ।

शकायत की प्रति वनसंरक्षक को प्रे षत की गयी । मुख्य वनसंरक्षक ने दिनांक 20.10.15 को अवकाश नगदीकरण रु. 67920/- वेतन देयक एरियर रु. 524067/- उपादान की रा श रु. 142593/- का देयक कोषायल को भेजना बताते हुये दिनांक 5.11.15 को भुगतान हो जाने का उल्लेख कया है साथ ही पेंशन प्रकरण संयुक्त संचालक को प्रे षत कये जाने का उल्लेख कया गया है। संभागीय संयुक्त संचालक के अनुसार सू चत कया गया है क दिनांक 06.04.16 को पेंशन तथा उपादान का भुगतान कया जा चुका है।

शकायतकर्ता को सेवानिवृत्ति के पश्चात् देय स्वत्वों को भुगतान होने के कारण मुख्य वनसंरक्षक के पत्र तथा संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन दुर्ग के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुये शकायत पर कार्यवाही हो जाने के फलस्वरुप शकायत निराकृत की गयी है।

2.24 प्रकरण क्रमांक -**35/2016/KRB/POC**

आवेदक चंद्रपाल बघेल ने शकायत की है क उसके वकलांग छोटे भाई चैलेश्वर बघेल ने दिनांक 13.05.15 को कराये के मकान में आत्महत्या कर ली थी। दिनांक 12.06.15 को चैलेश्वर की पत्नी ने इसके भाई पर पेट्रोल डालने का झूठा इल्जाम लगाया तथा थाने पर शकायत की थी आवेदक का छोटा भाई भी थाने गया , उसे थाने में रोक लया गया । शकायतकर्ता ने ईश्वर राजपूत द्वारा सुसाईड नोट को बदलने की शकायत की है। शकायतकर्ता ने ईश्वर संह राजपूत के वरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। शकायत की प्रति पु लस अधीक्षक कोरबा को प्रे षत की गई । पु लस अधीक्षक कोरबा ने जॉच के पश्चात् प्रतिवेदन प्रे षत कया ।

प्रतिवेदन की प्रति शकायतकर्ता को प्रे षत की गई जिसमें उसके द्वारा अमानवीय तरीके से मारपीट करने वाले पु लस क र्मयों के वरुद्ध भी कार्यवाही करने का निवेदन कया गया है। पु लस द्वारा व धवत धारा 306, 34 भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दिनांक 21.05.16 को गरफ्तारी की गई है ।

शकायतकर्ता द्वारा शकायत में दर्शाये गये घटनाक्रम के संबंध में पु लस द्वारा व धवत कार्यवाही कर प्रकरण न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है।

अतः आयोग में शकायत के पश्चात् पु लस द्वारा व धवत् कार्यवाही कर आरोपीगण को गरफ्तार करने के कारण अनु वभागीय अ धकारी पु लस के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुये शकायत निराकृत की गई है।

2.25 प्रकरण क्रमांक -363/2016/KNK/POC

आवेदक राजकुमार सोनेता ने आयोग को शकायत की है क टाटा इं डका कार जिसका नंबर सी.जी. 19 बी.डी.9081 का वह मा लक है। उक्त वाहन को दिनांक 02.01.16 को अ मत चैहान को उसने कराये पर दी थी , जब उसकी कार दो दिन बाद वापस नही आई तो उसने अ मत चैहान से संपर्क कया। दिनांक 06.01.16 को अ मत चोहान ने बताया क जबलपुर से आते समय अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उक्त वाहन को छीन लया गया है, जिस पर आवेदक ने दिनांक 06.01.16 को चारामा में ल खत शकायत की है। पु लस अधीक्षक ने प्रति वदित कया है क थाना टिकरिया मंडल में अप.क्र 21/16 अंतर्गत धारा 379 भारतीय दंड संहिता दर्ज कया गया । दिनांक 17.1.16 को थाना चारामा में अनावेदक अ मत उर्फ सोनू चैहान के वरुद्ध अप.क्र. 14/16 धारा 406 भा.द. व.दर्ज कर ववेचना में लया गया था। थाना चारामा के उक्त प्रकरण में दिनांक 03.04.16 को खात्माचाक कया गया। शकायतकर्ता ने टीप दी है क थाना चारामा द्वारा खात्माचाक कया गया है तथा शकायतकर्ता ने प्रकरण समाप्त करने का निवेदन कया है। शकायतकर्ता द्वारा दिये गये फोन नंबर पर जानकारी ली गयी उसने आयोग में चह रहे प्रकरण को समाप्त करने का निवेदन कया है। अतः आवेदक द्वारा के पत्र को स्वीकार करते हुये शकायत निरस्त की गयी है।

2.26 प्रकरण क्रमंक - बीएमटी/40/2013/डीआरसी

आवेदक मंगलाराम ने आयोग को शकायत की है क वह म.प्र. वद्युत वभाग , दुर्ग में मस्टर रोल कर्मचारी था। दिनंक 31.07.1987 को उसने काम छोड़ दिया। शकायतकर्ता ने ईपीएफ की रा श दिलाये जाने का निवेदन कया।

शकायत की प्रति क्षेत्रीय भ वष्य नि ध आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय पंडरी, रायपुर को प्रे षत की गई। क्षेत्रीय भ वष्य नि ध आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय पंडरी , रायपुर का प्रतिवेदन देते हुये शकायतकर्ता द्वारा द र्शत भ वष्य नि ध

खाता कसी अन्य व्यक्ति का होना बताया। इस आयोग द्वारा लगातार कार्यवाही करने के पश्चात् अति. अधीक्षण अ भयंता बिलासपुर ने शकायतकर्ता द्वारा फार्म गलत भरने की जानकारी आयोग को दी। आयोग की कार्यवाही के पश्चात् क्षेत्रीय भ वष्य नि ध संगठन ने आयोग को प्र वतदेन प्रे षत कया। आवेदक मंगलाराम को रु. 10,802/- तथा पेंशन का 150/- का चेक जारी कर आवेदक के बैंक खाता में क्रे डट करने हेतु जारी कर दिया है ।

प्रतिवेदन की प्रति शकायतकर्ता को प्रे षत की गई। शकायतकर्ता को दो पत्र प्रे षत कया गया। रजिस्टर्ड ए.डी. से भी पत्र प्रे षत कया गया, ले कन शकायतकर्ता ने प्रेतिवेदन पर कोई टीप नही दी।

इस आयोग की कार्यवाही के पश्चात् शकायतकर्ता को कर्मचारी भ वष्य नि ध आयुक्त द्वारा रु. 10802/- तथा पेंशन रा श रु. 150/- का भुगतान हो जाने के फलस्वरुप क्षेत्रीय भ वष्य नि ध संगठन रायपुर के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुये शकायत उपरोक्तानुसार निराकृत की जाती है।

2.27 प्रकरण क्रमांक - डीआरजी/513/2017/आरडीसी

शकायतकर्ता ने वभागीय जॉच 5 वर्ष से लंबित होने के बाद भी वभाग द्वारा वभागीय जॉच में निर्णय न लेने की शकायत की है। श्री एस.पी. चंचोलकर सहायक निरीक्षक ने पूर्व में भी इस आयोग को शकायत की थी जिसमें उसने जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त न होने का कथन कया था उक्त प्रकरण में शकायकर्ता को आयोग की कार्यवाही के पश्चात् जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होने के कारण आयोग का आभार प्रकट कया है।

वर्तमान शकायत वभागीय जॉच के संबंध में है शकायतकर्ता वर्तमान में सहकारी निरीक्षक के पद पर कार्यरत् है। जॉच वभागीय प्र क्रया से संबं धत है। अतः वभागीय प्र क्रया को लेकर इस आयोग द्वारा कार्यवाही कया जाना उ चत न होने से शकायत निरस्त कया जाना प्रस्ता वत कया जाता है।

2.28 प्रकरण क्रमांक -1424/2016/बीएसपी/एजीसी

शकायतकर्ता एम.के.जैन सेवानिवृत्त सहायक अ भयंता बिलासपुर ने सेवानिवृत्त के पश्चात् कर्मचारी भ वष्य नि ध की रा श का पूर्ण भुगतान न करने के संबंध में शकायत की है। शकायत की प्रति अधीक्षण अ भयंता जल संसाधन वभाग को प्रे षत की गई ।

इस आयोग की कार्यवाही के पश्चात् शकायतकर्ता को संपूर्ण रा श का भुगतान कर दिये जाने का प्रतिवेदन अधीक्षण अ भयंता के द्वारा दिया गया ।

शकायतकर्ता श्री एम.के. जैन के द्वारा इस आयोग को प्रे षत पत्र में जी.पी.एफ.की रा श एवं पेंशन प्रकरण का निराकरण हो जाने की जानकारी देते हुये इस आयोग का आभार व्यक्त कया है।

अतः शकायतकर्ता को संपूर्ण रा श का भुगतान हो जाने के फलस्वरुप अधीक्षण अ भयंता के प्रतिवेदन एवं शकायतकर्ता की टीप को स्वीकार करते हुये शकायत पर कार्यवाही हो जाने के फलस्वरुप प्रकरण निराकृत कया गया है।

2.29 प्रकरण क्रमांक **249/2017/BTR/DRC**

पीटर बेक निवासी जगदलपुर ने रीजनल पी.एफ.क मश्नर के आदेश के पश्चात् भी पेंशन एरियर्स की रा श रु. 106170/- प्राप्त न होने की शकायत की है। शकायत की प्रति सहायक भ वष्य नि ध आयुक्त को प्रे षत की गई। सहायक भ वष्य नि ध आयुक्त ने प्रतिवेदन प्रे षत कया। प्रतिवेदन की प्रति शकायतकर्ता को प्रे षत की गयी । शकायतकर्ता पीटर बेक का पत्र आयोग को प्रे षत करते हुये रु. 106170/- इसके बैंक खाते में जमा होना बताते हुये आयोग को धन्यवाद दिया है।

आयोग की कार्यवाही के पश्चात् शकायतकर्ता को पेंशन की एरियर्स रा श रु. 106170/- प्राप्त हो जाने के फलस्वरुप शकायतकर्ता की टीप को स्वीकार करते हुये शकायत निराकृत कया गया है।

2.30 प्रकरण क्रमांक **-401/2017/RYP/DRC**

श्री एन.सी.जांगडे, सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक भू अ भलेख शाखा ने दि. 31.10.2016 को से. नि. होने के पश्चात् 182 दिन के अवकाश नगदीकरण की रा श वभाग से प्राप्त न होने की शकायत की है । इस आयोग द्वारा वभाग को पत्र प्रे षत कया गया ।

शकायतकर्ता ने दिनांक 04.05.17 को अवकाश नगदीकरण की रा श प्राप्त हो जाना बताते हुये अपने आवेदन पर कोई कार्यवाही न करने का निवेदन प्रे षत कया है ।

अतः शकायतकर्ता को भुगतान हो जाने के फलस्वरुप शकायतकर्ता के पत्र को स्वीकार करते हुये शकायत निराकृत की गयी है ।

2.31 प्रकरण क्रमांक **-452/2017/RYP/DRC**

शकायतकर्ता श्री एन.के.श्रीवास्तव, से. नि. सहा.ग्रेड-2 ने अप्रैल 2006 से नवम्बर 2009 तक समयमान, वेतनमान की अंतर रा श वभाग द्वारा भुगतान न कये जाने का निवेदन कया है। इस आयोग की कार्यवाही के पश्चात् शकायतकर्ता को पंजीयक सहाकारी संस्थायें रायपुर द्वारा जून 2017 में अंतर की रा श प्राप्त हो जाने का कथन करते हुये इस आयेाग को पत्र प्रे षत कया गया है। शकायतकर्ता ने 05 वर्षो का भुगतान न कये जाने के कारण ब्याज की रा श की मांग की है। शकायतकर्ता को समयमान वेतनमान की अंतर रा श का भुगतान कया

जा चुका है। अतः भुगतान हो जाने के फलस्वरुप शकायतकर्ता के पत्र को स्वीकार करते हुये शकात उपरोक्तानुसार निराकृत की जाती है।

2.32 प्रकरण क्रमांक -1332/2016/JNJ/MC

शकायतकर्ता श्रीमती उमा यादव, निवासी जांजगीर-चांपा ने शकायत की है क दिनाॅंक 29.04.2014 को इसके पति गोपाल प्रसाद यादव की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई । छ.ग.शासन सा.प्र. व.मंत्रालय रायपुर द्वारा सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को मलने वाली रा श रु. 25000/- रुपये सहायता रा श नही दी गयी है। अपर कलेक्टर, जांजगीर-चांपा ने प्रतिवेदित कया है क मृतक की पत्नी शकायतकर्ता उमा यादव को शासन से मलने वाली आ र्थक सहायता रा श रु. 25000रु- स्वीकृत कया गया है । प्रतिवेदन के साथ भुगतान रसीद संलग्न की है ।

अतः आयोग की कार्यवाही के पश्चात् शकायतकर्ता को सहायता रा श का भुगतान तथा शकायत पर कार्यवाही हो जाने के फलस्वरुप अपर कलेक्टर के अखं डत प्रत वेदन को स्वीकार करते हुये शकायत निराकृत की जाती है।

2.33 प्रकरण क्रमांक -830/2016/DMT/PC

शकायतकर्ता श्रीमती चंद्रकला दीवान ने शकायत की है क उसके पति योगेश दीवान नगर निगम में पदस्थ थे, उनका देहांत दिनांक 13.02.16 को हो गया । शकायतकर्ता ने उसे नौकरी तथा सेवा अव ध के दौरान प्राप्त होने वाले उपादान, पेंशन आदि का निर्धारण न होने की शकायत की है ।

शकायत की प्रति आयुक्त नगर पा लक निगम धमतरी को प्रे षत की गई । आयुक्त नगर पा लक निगम धमतरी ने जॉच के पश्चात् प्रतिवेदन प्रे षत कया ।

प्रतिवेदन की प्रति शकायतकर्ता को प्रे षत की गयी। शकायतकर्ता आयोग के समक्ष उपस्थित हुई शकायतकर्ता ने पत्र प्रस्तुत करते हुये अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त हो जाना बताते हुये प्रकरण समाप्त करने का निवेदन कया ।

शकायतकर्ता के पत्र को स्वीकार करते हुये शकायत पर कार्यवाही हो जाने के फलस्वरुप प्रकरण निराकृत कया गया है ।

2.34 प्रकरण क्रमांक **-678/2016/DRG/PC**

शकायतकर्ता श्रीमती भागो बाई शनि मंदिर के पास दल्लीराजहरा ने शकायत की है क श्रम मंत्रालय द्वारा दिनांक 13.04.2001 को जारी पेंशनरों का 4 प्रतिशत रिलीफ स्वीकृत करने का आदेश दिया गया है। दिनांक 01.04.2000 से भुगतान होता है, ले कन भ वष्य नि ध आयुक्त द्वारा 15 वर्षो से अ धक समय बीतने के पश्चात् भी लगातार 13540/- का भुगतान नही कया गया है।

शकायत की प्रति कर्मचारी भ वष्य नि ध संगठन रायपुर तथा शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक दल्लीराजहरा को प्रे षत की गई। कर्मचारी भ वष्य नि ध संगठन क्षेत्रीय कार्यालय , रायपुर ने इस आयोग की कार्यवाही के पश्चात् भुगतान के संबंध में जानकारी आहूत की गई तत्पश्चात् कर्मचारी भ वष्य नि ध संगठन का प्रतिवेदन प्रे षत कया ।

प्रतिवेदन की प्रति शकायतकर्ता को प्रे षत की गई । दो पत्र प्रे षत कये गये। रजिस्टर्ड एडी से भी पत्र प्रे षत कया गया ले कन शकायतकर्ता ने प्रतिवेदन पर कोई टीप नही दी ।

सहायक भ वष्य नि ध आयुक्त कर्मचारी भ वष्य नि ध संगठन रायपुर ने प्रतिवेदित कया है क दि. 01.04.2000 से 31.05.17 तक 4 प्रतिशत राहत रा श का लाभ रु. 14420/- स्वीकृत कया गया है। उक्त रा श माह जून 2017 के मा सक पेंशन के साथ एरियर्स के रुप में दी जायेगी। शकायतकर्ता ने प्रतिवेदन में कोई टीप नही दी है।

इस आयोग की कार्यवाही के पश्चात् शकायतकर्ता को 04 प्रतिशत राहत रा श लगभग 14420/- स्वीकृत की गई है ।

अतः शकायत पर कार्यवाही हो जाने के फलस्वरुप सहा. भ वष्य नि ध आयुक्त कर्मचारी भ वष्य नि ध संगठन क्षेत्रीय कार्या. रायपुर के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुये शकायत निराकृत की गयी है।

2.35 प्रकरण क्रमांक **-35/2017/RYP/PC**

शकायतकर्ता रितेश कुमार उरकुरे ने शकायत की है क उसके पता वटठल राव मुख्य च कत्सा एवं स्वास्थ्य अ ध. रायपुर के अंतर्गत लेखापाल के पद पर कार्यरत थे , उनकी मृत्यु दि. 24.03.2012 को हुई। शकायतकर्ता के पता दिनांक 01.05.01को सेवानिवृत्त हुये थे। पता की मृत्यु के पश्चात् आवेदक की माता को पारिवारिक पेंशन नही दी गई। जब क आवेदक की माता की मृत्यु दि. 07.05.16 को हो गई है। शकायतकर्ता ने माता के जीवनकाल के पारिवारिक पेंशन दिलाये जाने की मांग की है।

इस आयोग की कार्यवाही के पश्चात् शकायतकर्ता को दि. 13.09.17 को चैक के माध्यम से 383,111 रुपये का भुगतान प्राप्त हो चुका है। शकायतकर्ता ने आयोग को धन्यवाद देते हुये प्रकरण में प्रकरण बंद करने का निवेदन कया है ।

अतः शकायतकर्ता रितेश कुमार की शकायत पर उसकी स्व. माता की इस आयोग की कार्यवाही के पश्चात् पारिवारिक पेंशन का भुगतान हो जाने के फलस्वरुप शकायत निराकृत की जाती है।

2.36 प्रकरण क्रमांक **-1745/2015/MHS/PC**

शकायतकर्ता प्रेमलता सोना ने शकायत की है क उसके पति स्व. निर्मल सोना नगर पा लक निगम , महासमुंद में कार्यरत् थे। दिनांक 14.12.09 को उनकी मृत्यु हो गयी। मृत्यु के पश्चात् वभाग को कई आवेदन देने के पश्चात् उसे पेंशन तथा उन्य स्वत्वों का भुगतान नही कया गया ।

शकायत की प्रति मुख्य नगर पा लका अ धकारी , महासमुंद को प्रेषत की गयी । संयुक्त संचालक , नगरीय प्रशासन को भी पत्र प्रे षत कया गया ।

उप संचालक पेंशन, संचालनालय नगरीय प्रशासन छ.ग. ने जॉच के पश्चात् प्रतिवेदन प्रे षत कया। प्रतिवेदन के अनुसार पेंशन की रा श भी स्वीकृत की गई है। प्रतिवेदन की प्रति शकायतकर्ता को प्रे षत की गयी।
शकायतकर्ता का पत्र प्रे षत कर उपादान की रा श प्राप्त हो जाने का कथन करते हुये आयोग को धन्यवाद दिया है। पेशन की रा श स्वीकृत की गयी है । इस आयोग की कार्यवाही के पश्चात् शकायतकर्ता की शकायत पर कार्यवाही हो जाने के फलस्वरुप उप संचालक पेंशन के प्रतिवेदन तथा प्रेमलता सोना के पत्र को स्वीकार करते हुये शकायत निराकृत की गयी है।

2.37 दिनांक **01.01.2017** से दिनांक **31.12.2017** तक आयोग में प्राप्त प्रकरण एवं निराकरण की स्थिति निम्नानुसार हैः-

क्रमांक	जिले का नाम	दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017 तक प्राप्त प्रकरण	दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017 तक निरस्त/निराकृत प्रकरण	लंबित प्रकरण 31.12.2017
1	बलौदाबाजार	**42**	**24**	**18**
2	बीजापुर	**3**	**2**	**1**
3	बालोद	**48**	**30**	**18**
4	बेमेतरा	**37**	**32**	**5**

5	बलरामपुर	**12**	**7**	**5**
6	बिलासपुर	**124**	**70**	**54**
7	बस्तर	**34**	**17**	**17**
8	धमतरी	**42**	**18**	**24**
9	दुर्ग	**166**	**125**	**41**
10	दन्तेवाड़ा	**16**	**10**	**6**
11	गरियाबंद	**23**	**17**	**6**
12	जांजगीर-चांपा	**84**	**49**	**35**
13	जशपुर	**30**	**22**	**8**
14	कोण्डागांव	**15**	**8**	**7**
15	कांकेर	**27**	**19**	**8**
16	कोरबा	**107**	**73**	**34**
17	कोरिया	**48**	**37**	**11**
18	कबीरधाम(कवर्धा)	**25**	**16**	**9**
19	महासमुंद	**90**	**64**	**26**
20	मुंगेली	**30**	**17**	**13**
21	नारायणपुर	**9**	**8**	**1**
22	रायगढ़	**80**	**45**	**35**
23	राजनांदगांव	**95**	**68**	**27**
24	रायपुर	**253**	**142**	**111**
25	सुकमा	**22**	**13**	**9**
26	सरगुजा	**51**	**36**	**15**
27	सूरजपुर	**25**	**18**	**7**
योग-		**1538**	**987**	**551**

3 आगामी वर्ष के लये निर्धारित लक्ष्य:-

- छत्तीसगढ़ राज्य मानव अ धकार आयोग के द्वारा आगामी वर्ष के लये आयोग द्वारा शासकीय अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों, केन्द्रीय/जिला जेलों, पु लस थानों बाल संप्रेक्षण गृहों का निरीक्षण कया जाना।
- आयोग द्वारा समय-समय पर प्रचार-प्रसार कया जाना।

- प्रदेश की जनता को मानव अ धकारों के हितों की रक्षा के लये से मनार , रे डयो, समाचार पत्रों एवं अन्य इलेक्ट्रानिक मी डया के माध्यम से अवगत कराना।

  उक्त समस्त आगामी वर्षो के लये निर्धारित कया गया है।

4 उपसंहार:-

छत्तीसगढ़ राज्य मानव अ धकार आयोग का कर्तव्य है क व्यक्तिगत् स्वतंत्रता , बंदियों के स्वास्थ्य , एवं सं वधान के अन्तर्गत संर क्षत मूल अ धकारों की रक्षा के लये निरन्तर कार्य हो सके। इस प्रतिवेदन के माध्यम से आयोग द्वारा प्रतिवेदित अव ध दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017 तक कये गये मुख्य कार्य का उल्लेख कया गया है। उपरोक्त जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे षत की जा रही है।